15[illegible]

भीम

कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।

ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः–प.37(1819)गृरमु/पीएसएएल/2020/2669-71 दिनांकः– 18 FEB 2021

कार्यालय आदेश

मैसर्स–CONT 2 ENTERPRISES LLP लाईसेन्स संख्या 1597/HG HQ (S-Cell)/2018 दिनांक 20.03.2018 वैधता दिनांक 19.03.2023 (निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान) का इस कार्यालय के पत्रांक 3228–29 दिनांक 11.02.2020 द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम–2005 की धारा 16 के तहत वर्ष 2019–20 का वार्षिक निरीक्षण करवाने पर उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का दर्जशुदा पते पर कार्यालय तथा प्रशिक्षण संस्थान संचालित होना नही पाया गया। उक्त अभिकरण द्वारा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(ग) एवं राजस्थान प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) 2006 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन करने के कारण उक्त लाईसेन्स को पसारा एक्ट 2005 की धारा 13(2) के तहत इस कार्यालय के आदेश कमांक 4186–87 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया एवं अनुज्ञाधारक रानी बाई को पत्र कमांक 4188 दिनांक 04.03.2020 द्वारा कारण पृच्छा नोटिस जारी किया गया।

कारण पृच्छा नोटिस के जवाब में अनुज्ञाधारक द्वारा संवादहीनता की वजह से प्रशिक्षण संस्थान व अभिकरण का कार्यालय निरीक्षण के दौरान बन्द होने के कारण पुनः निरीक्षण का आग्रह किया जिसे स्वीकार कर प्रशिक्षण संस्थान व अभिकरण का पुनः निरीक्षण करवाया गया। पुनः निरीक्षण के दौरान भी निजि सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, एन.एस.क्यू.एफ. द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय व्यवसायिक मानक के अनुसार संचालित होना नहीं पाया गया व निजि सुरक्षा अभिकरण के संचालन में भी पसार एक्ट की धारा 09 एवं 10 तथा राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2006 के नियम 06(03) के प्रावधानों का उल्लघंन पाया गया। उपरोक्त के प्रकाश में उक्त वर्णित निजि सुरक्षा अभिकरण की गतिविधियों को बहाल करते हुये प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित सभी गतिविधियां इस कार्यालय के आदेश कमांक 9845–47 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा पुनः एक माह के लिये निलम्बित की गई एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई सभी अनियमितताओं को दूर कर इस कार्यालय को सूचित करने हेतु अनुज्ञाधारक को निर्देशित किया गया। इस आदेश के संदर्भ में अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रति उत्तर के अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा पुनः निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं की आंशिक पालना ही की गई है। अतः अनुज्ञाधारक को पुनः निर्दशित किया गया कि सभी अनियमितताओं को दूर करें। इसकी पुष्टि के लिये इस कार्यालय के पत्र कमांक 12158–60 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा सीनियर स्टाफ आफिसर–प्रथम, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर को निरीक्षण हेतु आदेशित किया सीनियर स्टाफ आफिसर–प्रथम, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा 08 प्रकार के संसाधनों की पूर्ति नहीं की गई। इसकी पूर्ति हेतु अनुज्ञाधारक को इस कार्यालय के पत्र कमांक 14466–67 दिनांक 17.12.2020 के द्वारा लिखा गया। अनुज्ञाधारक द्वारा कम पाये गये संसाधनों की पूर्ति कर दिनांक 08.01.2021 को इस कार्यालय में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट की पूष्टि हेतु इस कार्यालय के पत्र कमांक 47 दिनांक 11.01.2021 द्वारा समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर को लिखा गया।

––2

Scanned with CamScanner

समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर ने अपने कार्यालय के पत्र कमांक 318 दिनांक 22.01.2021 के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया कि उक्त प्रशिक्षण संस्थान का भौतिक सत्यापन करने पर पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा बकाया उपकरणो/संसाधनों की पूर्ति कर दी गई है। अतः निरीक्षण के दौरान प्रशिक्षण संस्थान में पाई गई कमियों की अनुज्ञाधारक द्वारा पूर्ण पालना करने पर उक्त प्रशिक्षण संस्थान की गतिविधियां पुनः बहाल की जाती है। साथ ही अनुज्ञाधारक को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पसारा अधिनियमों, नियमों एवं एन.एस. क्यू.एफ. के तहत निर्धारित मापदण्डो के अनुसार निजि सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान संचालित करेगें।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक एवं महासमादेष्टा)
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. रानी बाई पुत्री गुरू सरोज बाई कार्यालय पता प्रथम तल, कुम्भज चेम्बर, नियर मुमताज मार्केट, किशनगढ, जिला–अजमेर एवं प्रशिक्षण संस्थान पता भुवाजी फार्म हाउस, गांव चौसला, तहसील–अराई, जिला–अजमेर।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाज़ा को विभागीय वैबसाईट पर सूचना अपलोड करने बाबत्।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक एवं महासमादेष्टा)
गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner